

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 827
दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फंसे भारतीय कामगार

827. श्री राजा राम सिंहः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साइबर गुलामी के तौर पर दक्षिण एशियाई देशों में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार फंसे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश कंबोडिया में हैं, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के 29 सितंबर, 2024 के अंक में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति क्या है तथा कितने कामगार अभी भी वापस नहीं आए हैं;

(ग) क्या सरकार भारतीयों को साइबर गुलामी जैसी स्थितियों में फंसने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा किन देशों में भारतीय नागरिक बंधक बनाए गए हैं, उनका देश-वार व्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विदेश मंत्रालय को उन देशों में फंसे लोगों से संबंधित कोई गुमशुदगी की शिकायत मिली है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(च) दक्षिण-पूर्व एशिया से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई की स्थिति क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) से (च) सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि फर्जी नौकरी भर्ती की पेशकश में संलिप्त संदिग्ध फर्मों ने भारतीय नागरिकों को ज्यादातर सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से

कंबोडिया, म्यांमार, लाओ पीडीआर सहित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में फंसाया और उन्हें इन देशों में संचालित घोटाला केंद्रों से साइबर अपराध और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बाध्य किया। इन देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सही संख्या ज्ञात नहीं है क्योंकि भारतीय नागरिक अपने स्वयं के निर्णयानुसार धोखेबाज/बेर्डमान भर्ती एजेंटों/एजेंसियों और अवैध माध्यमों से इन घोटाला केंद्रों तक पहुंचते हैं।

सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारत सरकार ने समय-समय पर मेजबान सरकार के साथ राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाया है। मिशन/केंद्र संबंधित देश के विदेश मंत्रालय और मेजबान देश की अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों जैसे आव्रजन, श्रम विभाग, गृह मामले, रक्षा एवं सीमा मामले तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भारतीय नागरिकों के बचाव और प्रत्यावर्तन के मुद्दे को सक्रिय रूप से उठाते हैं। कंबोडिया, लाओ पीडीआर और म्यांमार में हमारे दूतावासों के ठोस प्रयासों से सॉफ्टवेयर इंजीनियरों सहित आज तक बचाए गए भारतीय नागरिकों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

देश	बचाए गए भारतीय नागरिकों की संख्या
कंबोडिया	1091
लाओ पीडीआर	770
म्यांमार	497

सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर संबंधित मिशन/केंद्र तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। वे वॉक-इन इंटरव्यू, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबरों, मदद, सीपी सीपीआर्म्स और ई-माइग्रेट जैसे शिकायत निवारण पोर्टल और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मिशन/केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (आई 4 सी) की स्थापना की है।

मंत्रालय समय-समय पर फर्जी नौकरी ऐकेट के बारे में परामर्शी और सोशल मीडिया पोस्ट जारी करता है। इसी तरह के संचार संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा उनकी आधिकारिक वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जारी किए जाते हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में हमारे मिशनों ने भारतीय नागरिकों को दक्षिण-पूर्व देशों में फर्जी नौकरी ऐकेट द्वारा लुभाए जाने की ऐसी जानकारी प्राप्त होने के बाद, नौकरी के इच्छुक लोगों को सतर्क करने के लिए विभिन्न विस्तृत परामर्शी जारी की हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के

रोजगार प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले भर्ती एजेंटों और कंपनियों के सभी पूर्ववृत्त सत्यापित करने और इन देशों में धोखाधड़ी वाली नौकरी की पेशकश के बहकावे में न आने की सलाह दी है। मंत्रालय, विदेशों में भारतीय मिशनों/केंद्रों और भारत में प्रवासी संरक्षक कार्यालयों के साथ समन्वय करते हुए अवैध एजेंटों द्वारा नौकरी चाहने वालों के शोषण के मामले सामने आने पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करता है। ई-माइग्रेट पोर्टल पर 3,094 अपंजीकृत एजेंटों (अक्टूबर 2024 तक) की सूची अधिसूचित की गई है। अवैध एजेंटों और विभिन्न माध्यमों से भारतीय युवाओं को झूठे भर्ती प्रस्तावों में फंसाने वाली संदिग्ध फर्मों के विरुद्ध शिकायतें नियमित रूप से संबंधित राज्य सरकारों और आई 4 सी, गृह मंत्रालय जैसी अन्य एजेंसियों के साथ उपयुक्त कार्रवाई के लिए साझा की जाती हैं। साइबर अपराध के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए, केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई 4 सी सोशल मीडिया अकाउंट, रेडियो अभियान, कई चैनलों में प्रचार के लिए माईगव को जोड़ा जाना, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा तथा सुरक्षा जागरूकता समाज का आयोजन, डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर अखबारों में विज्ञापन, डिजिटल अरेस्ट पर दिल्ली मेट्रो में घोषणाएं और साइबर अपराधों के अन्य तौर-तरीकों के बारे में प्रासंगिक सूचना का प्रसार शामिल हैं।
